



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 105 / 2023

परिवादी :- मै० श्री राधे पैकेजिंग, खसरा नं०-548 एम, बहादुरपुर जट, ज्वालापुर, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक-01.09.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी मै० श्री राधे पैकेजिंग, खसरा नं०-548 एम, बहादुरपुर जट, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या JW0K000022531 जिसका भार 35 किलोवाट है, के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि गत माह दिनांक 25.03.2023 को उनकी फैक्ट्री श्री राधे पैकेजिंग जो की ज्वालापुर, हरिद्वार में है उसमें बिजली विभाग की तरफ से एक चैक मीटर लगाया गया। जिसके उपरांत इस माह उनका बिल रु०-146664.00 का आया है जिसमें विद्युत खपत का बिल रु०-28722.00 का है और रु०-117393.00 स्लो मीटर चार्ज के रूप में जोड़ा गया है। जब इसकी शिकायत विभाग में की तो बताया गया की लैब रिपोर्ट में आया है कि मीटर 6 माह से 50.48 % स्लो चल रहा है और यह उसी के एडजस्टमेंट के रूप में उनको भुगतान करना है। इससे पहले जब बिजली विभाग की टीम चैक मीटर उतारने आई तब इस तरह की कोई जानकारी उनको नहीं दी गई न ही कोई सीलिंग रिपोर्ट प्रदान की गई, उनको कहा गया कि सीलिंग रिपोर्ट विभाग कार्यालय से मिलेगी। उनका मीटर जो कि स्लो चल रहा है वह भी उनकी जानकारी में नहीं बदला गया। उनके द्वारा विभाग में एक लिखित शिकायत भी दी गयी जिसकी उनको रिसीविंग भी नहीं दी गई। उनको कहा गया है कि उनका मीटर 50.48 प्रतिशत स्लो चल रहा था और एडजस्टमेंट के रूप में उनकी 6 माह की मीटर रीडिंग बढ़ाकर उनको भुगतान की राशि बताई गई है। उनके द्वारा जो एक साल के बिजली के बिल जमा किये हैं जिन्हें देखा जा सकता है, कि उनकी रीडिंग कभी भी इतनी ज्यादा नहीं रही है। उन्हें शंका है कि चेक मीटर की रीडिंग में अनियमितता है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाए तथा जब तक यह वाद मंच के समक्ष विचाराधीन है, तब तक उनका उक्त कनेक्शन ना काटा जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-3137 दिनांक 20.07.2023 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या JW0K000022531, स्थापित मीटर संख्या-19628625, स्वीकृत भार 35KW/42.00 KVA पर विद्युत परीक्षणशाला मायापुर हरिद्वार, साईं कम्प्यूटर लिमिटेड, एम०आर०आई० विश्लेषण कम्पनी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में Y-Phase में वोल्टेज को जीरो दर्शाये जाने के आधार पर, विद्युत खपत (Energy) के सही मापन के लिए उक्त संयोजन पर स्थापित मेन

क्रमशः.....02

मीटर सं०-19628625 के सापेक्ष (सीलिंग क्रमांक सं०-020/1520, दिनांक 25.03.2023), चेक मीटर सं०-5136916 को स्थापित किया गया था तथा चेक मीटर फाइनल (सीलिंग क्रमांक सं०-039/1520, दिनांक 16.05.2023) करते हुए अवगत कराया गया, कि मेन मीटर द्वारा चेक मीटर की तुलना में 50.48% KVAH धीमा विद्युत खपत को रिकार्ड किया जा रहा है। जिसके आधार पर खण्ड कार्यालय ज्वालापुर द्वारा मेन मीटर की एम०आर०आई० रिपोर्ट के अध्ययन पर R-Phase में वोल्टेज को अपूर्ण रूप (LOW VOLTAGE) से तथा Y-Phase में वोल्टेज को जीरो की हानियों का आंकलन दिनांक 12.11.2022 से चेक मीटर फाइनल दिनांक 16.05.2023 तक राजस्व हानि, चेक मीटर निर्धारण धनराशि को उक्त उपभोक्ता के माह जून-2023 के बीजक में जोड़ दिया गया है। जिसका निर्धारण उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC), 2020 की नियमावली में अंकित CHAPTER-Metering & Billing, के भाग संख्या-5.1.3 Testing of Meters से सम्बन्धित बिन्दु संख्या-(10) (a) के अनुसार अधिकतम 12 महीनों से ज्यादा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, के अनुसार किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री अभिषेक कुकरेती उपस्थित हुए। विपक्षी के प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री सुनील कुमार गौतम उपस्थित हुए।

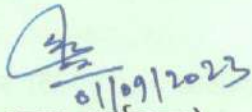
मंच द्वारा उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

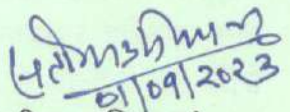
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन संख्या JWOK000022531 जिसका भार 35 किलोवाट है, दिनांक 05.11.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 25.03.2023 को परिवादी के परिसर पर चेक मीटर संख्या 5136916 स्थापित किया गया, जिसे दिनांक 16.05.2023 को फाइनल किया गया। चेक मीटर फाइनल रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि परिवादी का मेन मीटर 50.48 प्रतिशत (KVAH) धीमा पाया गया। विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवादी के मेन मीटर की एम०आर०आई० रिपोर्ट के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 12.11.2022 से दिनांक 16.05.2023 के मध्य R-Phase तथा Y-Phase में लो/शून्य वोल्टेज रिकार्ड की गई है। फलस्वरूप परिवादी के मेन मीटर द्वारा उपरोक्त अवधि में वास्तविक विद्युत खपत से कम विद्युत खपत रिकार्ड की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा इस परिपेक्ष्य में प्रस्तुत की गई गणना चार्ट के अनुसार परिवादी के विरुद्ध राजस्व निर्धारण धनराशि रू० 1173923.00, जो कि परिवादी के माह जून 2023 के बिल में दर्शायी गई है, सही प्रतीत होती है। इस संबंध में मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC), 2020 की नियमावली में अंकित CHAPTER-Metering & Billing, के भाग संख्या-5.1.3 Testing of Meters से सम्बन्धित बिन्दु संख्या-(10) (a) के अनुसार अधिकतम 12 महीनों से ज्यादा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के विरुद्ध राजस्व निर्धारण वास्तविक अवधि दिनांक 12.11.2022 से दिनांक 16.05.2023 के मध्य की गई विद्युत खपत के सापेक्ष किया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है।

अतः मंच की राय में परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 107 / 2023

परिवादी :- श्री नकली राम पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी ग्रा० इमलीखेडा, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 08.09.2023

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री नकली राम पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी ग्रा० इमलीखेडा, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 689BKL9711854 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका 8 HP का ट्यूबवैल कनेक्शन 689BKL9711854 है। उनका दिनांक 29.03.2022 को रू० 1080.00 का बिल विभाग को भुगतान किया था। दिनांक 07.09.2023 को उनका मीटर बदला गया था। विभाग द्वारा उनको रू० 172602.00 का बिल दिनांक 23.12.2022 भेजा गया है, जो कि गलत है। बिल पर उनके पिता का नाम अरुण लिखा गया है जबकि उनके पिता का सही नाम अर्जुन सिंह है। अतः परिवादी ने मंच से बिल सही करवाने व बिल में अपने पिता का नाम सही करवाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक 3724 दिनांक 28.07.2023 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन सं० 689BKL9711854 के सापेक्ष माह 06/2022 के कंडब्लूएच रीडिंग 67801 जो कि मीटर रीडर, अवर अभियन्ता तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रमाणित रीडिंग के आधार पर विद्युत बीजक निर्गत किया गया। उपभोक्ता के पिता का नाम संशोधित कर अरुण के स्थान पर अर्जुन कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री नकली राम स्वयं उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से श्री सजल हटवाल उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 28.11.2013 से 08 एच०पी० भार में गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार एनआर/एमयू के बिल जारी किए जा रहे हैं। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 25.06.2022 तथा दिनांक 23.12.2022 को एमयू तथा एमसी आधार पर क्रमशः 61138 तथा 17805 यूनिट के बिल जारी किए गए हैं जिसको परिवादी द्वारा विवादित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को पिछले करीब सात वर्षों में निर्गत विद्युत बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत के सापेक्ष उक्त विवादित बिलों में अत्यधिक विद्युत खपत दर्शायी गई है। मंच द्वारा विपक्षी विभाग को परिवादी के विद्युत मीटर की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत

क्रमशः.....02

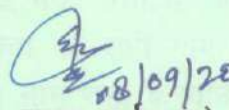
करने के निर्देश दिए गए, जिससे कि परिवादी को निर्गत बिलों में दर्शायी गई मीटर रीडिंग की पुष्टि की जा सके परंतु विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4407 दिनांक 06.09.2023 के द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि उक्त मीटर की एमआरआई कराया जाना संभव नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी विभाग द्वारा विवादित बिलों में दर्शायी गई अत्यधिक विद्युत खपत की पुष्टि किया जाना संभव नहीं है तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा विवादित विद्युत खपत संबंधी उक्त मीटर को आईडीएफ आधार पर दिनांक 07.09.2022 को बदल दिया गया है। इस आधार पर परिवादी का यह कथन कि उक्त बिलों में विपक्षी विभाग द्वारा अत्यधिक विद्युत खपत दर्शायी गई है, सही प्रतीत होता है। जहां तक परिवादी द्वारा उनके विद्युत बिलों में पिता का नाम गलत दर्ज होने का कथन किया गया है, तो विपक्षी विभाग द्वारा अभिलेखों में उनके पिता का नाम संशोधित कर अरुण के स्थान पर अर्जुन कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से होती है।

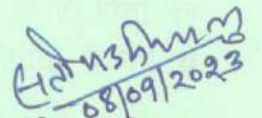
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी को निर्गत बिल दिनांक 25.06.2022 तथा दिनांक 23.12.2022 को निरस्त करते हुए पिछले वास्तविक विद्युत खपत (एमयू) के आधार पर निर्गत तीन बिलिंग साइकल की औसत वास्तविक विद्युत खपत (एमयू) के आधार पर बिल संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को निर्गत बिल दिनांक 25.06.2022 तथा दिनांक 23.12.2022 को निरस्त करते हुए पिछले वास्तविक विद्युत खपत (एमयू) के आधार पर निर्गत तीन बिलिंग साइकल की औसत विद्युत खपत के आधार पर बिल संशोधित करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 111/2023

परिवादी :- मै० मां गंगा स्टोन केशर, श्री नेत्रपाल पुत्र श्री लायकराम सिंह, निवासी-हरसीवाला,
पो०-बादशाहपुर, तहसील व जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 08.09.2023

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी मै० मां गंगा स्टोन केशर, श्री नेत्रपाल पुत्र श्री लायकराम सिंह, निवासी-हरसीवाला,
पो०-बादशाहपुर, तहसील व जिला-हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या LK0K000024387 के सन्दर्भ में
कथन किया गया है कि विभाग द्वारा दिनांक 24.06.2023 को रू० 1119636.00 की पैनाल्टी लगा दी गयी
है जबकि उसके द्वारा हर माह समय से बिल जमा किया जा रहा था। अतः परिवादी ने मंच से विद्युत
विभाग द्वारा लगाई गई उक्त पैनाल्टी की रकम रू० 1119636.00 को बिल से हटाकर बिल ठीक करने
का अनुरोध किया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने पत्रांक 2476 दिनांक 11.08.2023 द्वारा उक्त वाद के
जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के मीटर की BPhase- Voltage Missing होने के
कारण परिसर पर दिनांक 18.01.2023 को चेक मीटर स्थापित किया गया। उक्त स्थापित चैक मीटर की
तुलना में उपभोक्ता का मीटर दिनांक 03.03.2023 को 48.30% धीमा पाया गया। Temper Report का
विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मीटर 03/2022 से धीमा चल रहा है, जिस कारण चैक मीटर के
अन्तर के आधार पर विद्युत बिल निर्धारण धनराशि रू० 1119636.00 बना है। उक्त उपभोक्ता के साइट
पर स्थापित चैक मीटर का निर्धारण नियमानुसार ही बनाया गया है जो कि सही है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री नेत्रपाल तथा विपक्षी की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्री एसके गुप्ता
उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी के संस्थान मै०
मां गंगा स्टोन केशर, भोगपुर, भट्टिपुर हरिद्वार में 300 केवीए भार का विद्युत संयोजन गतिमान है। विपक्षी
विभाग द्वारा परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की एमआरआई की टेंम्पर रिपोर्ट के आधार पर
दिनांक 18.01.2023 को चैक मीटर स्थापित किया गया। उक्त चैक मीटर को दिनांक 03.03.2023 को

(Signature)

क्रमशः.....02

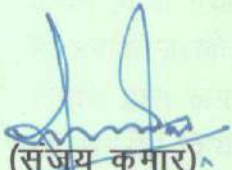
फाइनल किया गया, जिसमें परिवादी प्रतिष्ठान में स्थापित मैन मीटर 48.30% धीमा पाया गया। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराई गई एमआरआई रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि परिवादी प्रतिष्ठान पर स्थापित उक्त मैन मीटर में माह मार्च 2022 से B-Phase पर Voltage Missing / कम रिकार्ड की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि मार्च 2022 से 03.03.2023 के मध्य मैन मीटर द्वारा वास्तविक विद्युत खपत से 48.30% कम विद्युत खपत रिकार्ड की गई है, जिसका निर्धारण उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC), 2020 की नियमावली में अंकित CHAPTER-Metering & Billing, के भाग संख्या-5.1.3 Testing of Meters से सम्बन्धित बिन्दु संख्या-(10) (a) के अनुसार अधिकतम 12 महीनों से ज्यादा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, के अनुसार किया गया है, जो कि नियमानुसार सही प्रतीत होता है।

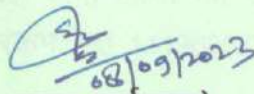
इस प्रकरण में जहां तक परिवादी का यह कथन कि विपक्षी विभाग द्वारा उस पर धनराशि रु० 1119636.00 की पैनाल्टी लगाई गई है, तो पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त धनराशि का निर्धारण परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर द्वारा 48.30% कम विद्युत खपत रिकार्ड किए जाने के सापेक्ष उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC), 2020 की नियमावली में अंकित CHAPTER-Metering & Billing, के भाग संख्या-5.1.3 Testing of Meters से सम्बन्धित बिन्दु संख्या-(10) (a) के अनुसार किया गया है, जो कि न्यायसंगत है।

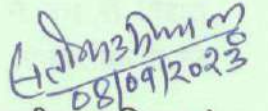
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 113/2023

परिवादी :- श्री महेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी-उमराद एंक्लेव देवपुर मुस्तकम, एस० एम० पब्लिक स्कूल के पिछे, कनखल, जगजीतपुर, हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 08.09.2023

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री महेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी-उमराद एंक्लेव, देवपुर मुस्तकम, एस० एम० पब्लिक स्कूल के पीछे, कनखल, जगजीतपुर, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या JW11439908788 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका विद्युत बिल दिनांक 14.05.2023 से दिनांक 26.07.2023 का रू० 25728.00 का आया है, जो कि मीटर खराब होने के कारण आया है। उनके द्वारा इस बिल से पूर्व सभी बिल भी समय से जमा किये गये हैं। विभाग द्वारा उनका बिल जल्द से जल्द ठीक करना आवश्यक है जिससे वह अपना बिल समय से जमा कर सकें। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका उक्त बिल सही करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 3565 दिनांक 21.08.2023 द्वारा इस मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, जगजीतपुर द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 381 दिनांक 19.08.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता को माह जुलाई में 3840 यूनिट हेतु कुल रू० 25728.00 का विद्युत बीजक प्रेषित किया गया था। इस आधार पर उपभोक्ता द्वारा दिनांक 18.05.2023 को चैक मीटर हेतु शिकायत क्रमांक 21805230369 अंकित करायी गयी थी। उपभोक्ता की शिकायत के अनुक्रम में विद्युत परीक्षणशाला, सिडकुल द्वारा दिनांक 19.05.2023 को उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर संख्या 10200282 स्थापित किया गया था, जो कि दिनांक 15.06.2023 को फाइनल कर चैक मीटर संख्या 10200282 उपभोक्ता के परिसर से उतार लिया गया, इसके अनुसार चैक मीटर संख्या 10200282 एवं मैन मीटर संख्या एसएस15693849 की विद्युत खपत बराबर पायी गयी है। उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या एसएस15693849 की वर्तमान मीटर रीडिंग 9982 है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री महेश कुमार तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री सुनील कुमार गौतम उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

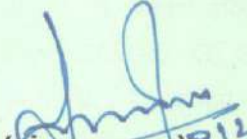
क्रमशः.....02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 13.12.2021 से 02 किलोवाट भार में गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार एमयू के आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। दिनांक 26.07.2023 को विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को मीटर रीडिंग 3644 से 8980 तक का सीडीएफ के आधार पर 3840 यूनिट का बिल जारी किया गया है जिसको परिवादी द्वारा विवादित किया गया है। परिवादी द्वारा अपने परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की शुद्धता की जांच किए जाने के लिए विपक्षी कार्यालय में दिनांक 18.05.2023 को शिकायत दर्ज की गई। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 19.05.2023 को परिवादी के परिसर पर चैक मीटर संख्या 10200282 स्थापित किया गया। दिनांक 25.06.2023 को विपक्षी विभाग द्वारा चैक मीटर फाइनल किया गया, जिसमें दोनों मीटरों में कोई भी अंतर नहीं पाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर वास्तविक विद्युत खपत दर्ज कर रहा है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। वर्तमान में परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर द्वारा दर्ज की जा रही विद्युत खपत का विपक्षी विभाग द्वारा विश्लेषण करने पर पाया गया है कि उक्त मीटर द्वारा दर्ज की जा रही विद्युत खपत सामान्य प्रतीत होती है। इस आधार पर परिवादी का यह कथन कि माह जुलाई में मीटर खराब होने के कारण विपक्षी विभाग द्वारा अधिक विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है, को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

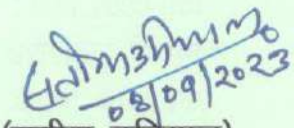
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार) 9/23
न्यायिक सदस्य


08/09/2023
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


08/09/2023
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।



उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

Phone: 01334-265368

परिवाद सं० 125/2023

परिवादी :- श्री अजीजुर्रहमान, प्रतिनिधि श्री मोहम्मद हारून, रामपुर चुंगी, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

आदेश दिनांक-22.09.2023

कोरम

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अजीजुर्रहमान, प्रतिनिधि श्री मोहम्मद हारून, रामपुर चुंगी, रुड़की ने कनेक्शन नं०- RM 20252253521 के संदर्भ में कथन किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा उन्हें उक्त कनेक्शन का बिल रू० 9081.00 का दिया गया है जो कि काफी अधिक है। उक्त बिल की धनराशि को वह पार्ट पेमेंट में जमा कराना चाहता है। अतः मंच से अनुरोध है कि उन्हें उक्त बिल के सापेक्ष रू० 5500.00 पार्ट पेमेंट के तौर पर जमा कराए जाने के लिए विभाग को निर्देशित कर दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान- कार्यालय, 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री अजीजुर्रहमान उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि द्वारा मंच को उक्त समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मौके पर ही विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के उक्त बिल की धनराशि रू० 9081.00 के सापेक्ष बतौर पार्ट पेमेंट रू० 5500.00 जमा कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके बाद परिवादी द्वारा मौके पर ही विपक्षी विभाग के कार्यालय में उक्त धनराशि जमा करा दी गई है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की उक्त समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 143/2023

परिवादी :- श्रीमती सुनीता रानी, मखतुलपुरी, रामनगर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-22.09.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सुनीता रानी, मखतुलपुरी, रामनगर, रुड़की ने कनेक्शन नं०- RM 20224126275 के संदर्भ में कथन किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा उन्हें उक्त कनेक्शन का बिल रू० 13946.00 का दिया गया है जो कि काफी अधिक है। उक्त बिल की धनराशि को वह पार्ट पेमेंट में जमा कराना चाहती है। अतः मंच से अनुरोध है कि उन्हें उक्त बिल के सापेक्ष रू० 6000.00 पार्ट पेमेंट के तौर पर जमा कराए जाने के लिए विभाग को निर्देशित कर दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान- कार्यालय, 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादिनी श्रीमती सुनीता रानी उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

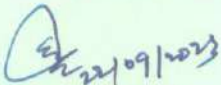
सुनवाई के समय परिवादिनी द्वारा मंच को उक्त समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह ने परिवादिनी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मौके पर ही विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के उक्त बिल की धनराशि रू० 13946.00 के सापेक्ष बतौर पार्ट पेमेंट रू० 6000.00 जमा कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके बाद परिवादिनी द्वारा मौके पर ही विपक्षी विभाग के कार्यालय में उक्त धनराशि जमा करा दी गई है।

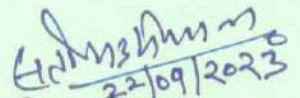
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की उक्त समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 149 / 2023

परिवादी :- श्री नसीम अहमद पुत्र श्री वली मौहम्मद, 219, मौहल्ला-सती, आई०एम०एल०आई० रोड,
कॉसर मैडिकल स्टोर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-22.09.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री नसीम अहमद पुत्र श्री वली मौहम्मद, 219, मौहल्ला-सती, आई०एम०एल०आई० रोड, कॉसर मैडिकल स्टोर, रुड़की द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन नं०-RM20152027250 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा पिछले तीन महिनों के बिल का भुगतान किया जा चुका है। परंतु उनके बिल में तीन महिने का भुगतान जोड़कर बिल दिया गया है। क्योंकि तीन माह से मीटर की रीडिंग नहीं ली जा रही थी। जिस वजह से बिल रू० 12137.00 का आया है। उनके द्वारा 25 अगस्त को रू० 2712.00 जमा किया गया था और फिर 8 सितम्बर 2023 को रू० 2762.00 का बिल जमा किया गया, जिसका कुल योग रू० 5474.00 है, परन्तु रू० 2762.00 का बिल फिर से बनाया गया है। विद्युत विभाग ने जो रू० 12137.00 का बिल भेजा है उस बिल से वह संतुष्ट नहीं हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त कनेक्शन का बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी की प्रतिनिधि श्रीमती नगमा उपस्थित हुई तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर उपभय पक्ष के तर्कों को सुना गया और सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 06.06.2023 तक एमयू के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 03.08.2023 तथा दिनांक 02.09.2023 को एनआर के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इसके पश्चात दिनांक 08.09.2023 को एमयू आधार पर 2242 यूनिट बिल जारी किया गया है, जिसे परिवादी द्वारा विवादित किया गया है।

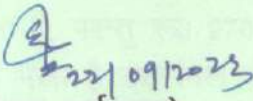
क्रमशः.....02

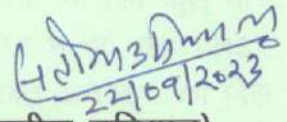
पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 09.09.2023 में जारी बिल में वर्तमान बिल की धनराशि रु० 14425.00 तथा पिछला बकाया रु० 2762.00 तथा पिछले दो एनआर साइकल का रु० 5050.50 का समायोजन देते हुए कुल रु० 12137.00 का बिल निर्गत किया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है। परिवादी द्वारा पिछले तीन बिलों की धनराशि दिनांक 22.07.2023, 25.08.2023, 08.09.2023 को क्रमशः रु० 4457.00, 2712.00 तथा रु० 2762.00 जमा किए गए हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा दिनांक 22.07.2023, 25.08.2023 को जमा धनराशि रु० 4457.00 तथा रु० 2712.00 को परिवादी के खाते में क्रेडिट कर दिया गया है। परंतु परिवादी द्वारा दिनांक 02.09.2023 को जारी बिल की धनराशि रु० 2762.00 का भुगतान दिनांक 08.09.2023 को किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 08.09.2023 को निर्गत बिल में उक्त धनराशि को बकाया के रूप में दर्शाया गया है जिसका समायोजन आगामी बिल में स्वतः ही परिवादी को मिल जाएगा। इस आधार पर परिवादी का यह कथन कि उनके द्वारा जमा कराए गए बिल की धनराशि का समायोजन उनके बिल में नहीं किया गया है, आंशिक रूप से निराधार है। परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा जारी बिल रीडिंग के आधार पर जारी किए गए हैं, जो कि सही प्रतीत होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



परिवाद सं० 155 / 2023

परिवादी :- श्री करेशन लाल पुत्र श्री कालू राम, ग्रा० माधोपुर, रुड़की।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-22.09.2023

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री करेशन लाल पुत्र श्री कालू राम, ग्रा० माधोपुर, रुड़की का कनेक्शन नं०-RM22008110204 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल पूर्व से अधिक आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके बिल को सही कराने, मीटर की जांच एवं बिल में फोन नं० को दर्ज करा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रुड़की के अर्न्तगत स्थान 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रुड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी श्री करेशन लाल उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी श्री ओमपाल सिंह ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही सुनवाई पूर्ण की गई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा लगातार एमयू के आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री से यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान में परिवादी की विद्युत खपत पूर्व के वर्षों में की जा रही विद्युत खपत के अनुसार ही है। अभिलेखों के अनुसार परिवादी द्वारा माह अप्रैल 2022 में 485 यूनिट तथा माह अप्रैल 2023 में 658 यूनिट बिजली का उपभोग किया गया है। जून 2022 में 1033 यूनिट तथा माह जून 2023 में 1193 यूनिट का उपभोग किया गया है। इसी प्रकार से माह अगस्त 2022 में 1004 यूनिट तथा माह अगस्त 2023 में 557 यूनिट का उपभोग किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवादी की वर्तमान एवं पूर्व वर्षों में विद्युत खपत का पैटर्न औसतन लगभग समान है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को जारी किए गए बिल वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर जारी किए गए हैं जो कि सही प्रतीत होते हैं। इस आधार पर परिवादी का यह कथन कि उनका बिल पूर्व से अधिक आ रहा है, सरासर बेबुनियाद एवं निराधार है।

इस प्रकरण में जहां तक परिवादी द्वारा मीटर की जांच को लेकर सवाल किया गया है तो परिवादी अपने परिसर पर स्थापित मीटर की शुद्धता की जांच के लिए विपक्षी विभाग के कार्यालय में आवेदन करने के उपरांत अपनी शंका का समाधान करा सकता है।

(Handwritten signature)

क्रमशः.....02

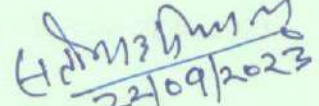
(Handwritten signature)

इस प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विपक्षी विभाग के अभिलेखों में परिवादी का मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, इसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी के अभिलेखों से होती है। अतः विपक्षी विभाग के अभिलेखों में परिवादी का मोबाइल नंबर 7906654408 दर्ज किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह अपने अभिलेखों में परिवादी का मोबाइल नंबर 7906654408 दर्ज करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।


22/09/2023
(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


22/09/2023
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 114 / 2023

परिवादी :- श्री नसीम पुत्र स्व० श्री कासिम, निवासी-ग्राम व पोस्ट-सुल्तानपुर आदमपुर, फीडर भट्टीपुर, जनपद-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक-30.09.2023

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

परिवाद के तथ्य- परिवादी की ओर से कागज सं० 1 मय संलग्न कागज सं० 2-6 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी का कनेक्शन सं०-LK61432113751 प्रार्थी के पिता स्व० श्री कासिम के नाम पर चला आता है। जिसका प्रार्थी नसीम पुत्र स्व० श्री कासिम समय समय पर विद्युत बिल का भुगतान करता चला आता है। प्रार्थी का विद्युत बिल फरवरी 2023 को भेजा गया जोकि गलत है। प्रार्थी ने मई 2022 को अपना पूरा बिल जमा किया था। फरवरी 2023 के बिल में रीडिंग 4826 से सीधे 7163 रीडिंग पर बिल बना दिया गया। जबकि मई 2023 में मीटर रीडिंग 5112 थी जोकि सही रीडिंग है। मगर बिल आर०डी०एफ० में बना है और रू० 43490.00 का बन गया है। प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थी का बिल रीडिंग 5112 से बनवाने की कृपा करें।

विपक्षी का जवाब- विपक्षी की ओर से कागज सं० 15 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उपभोक्ता के मापक का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मापक सं० यू.359139 में रीडिंग प्रदर्शित नहीं हो रही है। अतः वर्तमान में उपभोक्ता का मापक आई०डी०एफ० चल रहा है। एम०आर०आई० रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गई।

-:विवेचना:-

परिवादी पत्र एवं विपक्षी जवाब का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने पत्रावली पर कागज सं० 17 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपभोक्ता के पुराने मापक सं० यू.359139 की एम०आर०आई० हेतु टेस्ट लेब भेजा गया था। परन्तु उक्त मापक की एम०आर०आई० नहीं हो पाई। परन्तु रिकार्ड के अवलोकन से पता चलता है कि उपभोक्ता का मीटर विपक्षी द्वारा बदला गया हो ऐसा कोई विपक्षी कथन एवं साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जबकि विपक्षी अपने जवाब कागज सं० 15 में परिवादी के विद्युत मीटर को आई०डी०एफ० होना स्वीकार किया है। उक्त स्थिति में उपभोक्ता

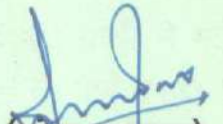
क्रमशः.....02

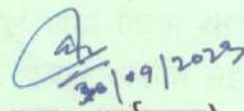
इतिहास कागज सं० 7 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मीटर रीडिंग 4826 से 7558 की रीडिंग प्रेषित किये जाने का कारण मीटर का खराब होना ही है। उक्त स्थिति में दिनांक 24.01.2023 से नये मीटर बदलने की तिथि तक प्रेषित विद्युत बिल निरस्त किया जाना न्याय संगत होगा।

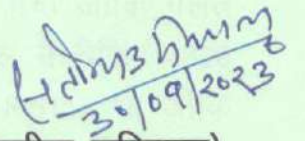
यह कि प्रश्नगत कनेक्शन कासिम के नाम पर चला आता है जिस उपभोक्ता कासिम की दिनांक 01.04.2020 को मृत्यु हो चुकी है। उक्त स्थिति में प्रभावी अनुबन्ध के बिना कनेक्शन का जारी होना अवैध है। कासिम के कानूनी वारिसान द्वारा कनेक्शन को अपने नाम पर नहीं कराया है। उक्त के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर कार्यवाही का होना अत्यन्त आवश्यक है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के विद्युत संयोजन सं०- LK61432113751 के बाबत दिनांक 23.01.2023 (मीटर रीडिंग-4826) से दिनांक 01.09.2023 (मीटर रीडिंग 7558) तक जारी सभी बिल निरस्त करते हुए उपरोक्त अवधि में की गई विद्युत खपत कुल 2732 यूनिट को समान रूप से वितरित करते हुए, उपरोक्त अवधि में जमा की गई धनराशि का समायोजन प्रदान करते हुए संशोधित बिल जारी करे। परिवादी को भी आदेशित किया जाता है कि वह उक्त संयोजन को अपने नाम पर किए जाने हेतु, विपक्षी कार्यालय में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करना सुनिश्चित करे। विपक्षी विभाग तीस दिन के भीतर इस आदेश की अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर है,


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट-इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।



उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 116 / 2023

परिवादी :- श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जीवन सिंह, निवासी-सिद्धबली आश्रम, चण्डीघाट, पोस्ट-कनखल, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 30.09.2023

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जीवन सिंह, निवासी-सिद्धबली आश्रम, चण्डीघाट, पोस्ट-कनखल, जिला-हरिद्वार द्वारा नए विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त परिसर पर वह एक कमरे में बतौर किराएदार आबाद चला आता है तथा पिछले लगभग 20 वर्षों से आश्रम की प्रबन्धिका श्रीमती पिताम्बरी देवी पत्नी स्व० श्री महन्त सेवादास ही किराया प्राप्त करती चली आती थी, उनकी मृत्यु के पश्चात विधित उत्तराधिकारी ना होने के कारण प्रार्थी ने श्रीमान सिविल जज (जे०डी०) हरिद्वार द्वारा प्रकीर्ण वाद सं०-81/2018 दीपक बनाम महन्त रामपुरी आदि में दिनांक 30.03.2019 में पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 30.11.2022 तक का किराया रू० 19 हजार न्यायालय में जमा करा दिया। चूंकि महन्त रामपुरी व महन्त पिताम्बरी देवी की मृत्यु हो गई है जिस कारण उसने किराया न्यायालय में जमा करा दिया है। इसी रंजिश के कारण मृतक पिताम्बरी देवी का भतीजा धीरज पुत्र गंगादास जो अपने आपको सिद्धबली आश्रम का मालिक बताता है उसने परिवादी की तथा साथ ही कुछ अन्य किरायेदारों को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से बिजली काट दी है, जबकि सभी किराएदारों की बिजली आश्रम के विद्युत कनेक्शन से ही आ रही थी। परेशान होकर उसने व अन्य 6 किरायेदारों ने अपने नाम से अलग विद्युत कनेक्शन लेने हेतु अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हरिद्वार के कार्यालय में आवेदन दाखिल किए थे जो दिनांक 12.06.2023 को उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड भूपतवाला हरिद्वार को अग्रसारित कर दिये गये थे, जिसकी सूचना परिवादी को भी पत्र द्वारा दी गयी। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी द्वारा इनमें से केवल ललित गिरि का कनेक्शन मंजूर किया गया। परन्तु उनके व अन्य आवेदकों के आवेदन पत्रों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और ना ही बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद कोई सन्तोषजनक जवाब दिया जा रहा है और ना ही विद्युत कनेक्शन को ना देने का कारण बताया जा रहा है। यह कि बिजली, पानी व हवा इनको पाने का प्रत्येक व्यक्ति का फन्डामेंटल अधिकार है, जिससे उसको व अन्य किराएदारों को महरूम किया जा रहा है। अतः मंच से

क्रमशः.....02

अनुरोध है कि उन्हें नया विद्युत संयोजन दिला दिया जाए।

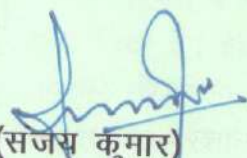
विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक 1841 दिनांक 05.09.2023 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया गया है कि वाद सं० 116/2023 में उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्रांक सं० 432, दिनांक 04.09.2023 में अवगत कराया है कि उपभोक्ता के द्वारा आवेदन के समय जो दस्तावेज दिये जा रहे हैं उसमें कि वाद सं० 76/2018 महन्त रामपुरी बनाम पिताम्बरी के बीच चल रहा है, जिससे कि प्रतीत होता है कि उक्त सम्पत्ति से संबंधित वाद न्यायालय में विचारधीन है, इसलिए उक्त सम्पत्ति पर विद्युत संयोजन नहीं दिया जा सकता है, उक्त से सम्बन्धित प्रकरण विधिक राय के लिये विभागीय अधिवक्ता के पास विचाराधीन है। मंच के समक्ष परिवादी श्री दीपक तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता श्रीमती प्रियंका अग्रवाल उपस्थित हुई।

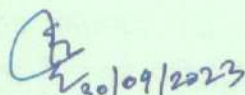
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

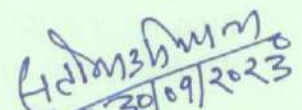
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी सि०बली आश्रम कनखल चण्डी घाट तहसील व जिला हरिद्वार में किराएदार है तथा उसके द्वारा किराया न्यायालय के वाद संख्या 81/2018 सिविल जज जेडी हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2019 के अनुपालन में किराया न्यायालय में जमा कराया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवादी उक्त परिसर में निवासरत है। मंच द्वारा सुनवाई के समय विपक्षी के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी सप्रेम श्री कमलराज नेगी ने मंच को बताया कि विपक्षी विभाग द्वारा इस प्रकरण के संबंध में लीगल राय ली गई है जिसकी प्रतिलिपि पत्रावली पर भी दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया है कि तीन गुना धरोहर धनराशि जमा कराकर परिवादी को विद्युत संयोजन जारी किया जा सकता है। विपक्षी ने बताया कि उक्त आधार पर परिवादी को विद्युत संयोजन जारी किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। क्योंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को विद्युत संयोजन जारी किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान के लिए कार्यवाही शुरू कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(सजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 118/2023

परिवादी :- श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री गिरवीर सिंह, निवासी-सिद्धबली आश्रम, चण्डीघाट, भूपतवाला, पोस्ट-कनखल, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 30.09.2023

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री गिरवीर सिंह, निवासी-सिद्धबली आश्रम, चण्डीघाट, भूपतवाला, पोस्ट-कनखल, जिला-हरिद्वार द्वारा नए विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त परिसर पर वह कई वर्षों से बतौर किरायेदार चला आता है उक्त आश्रम के ट्रस्टीगणों के मध्य आपसी विवाद होने के कारण वह अपनी किरायेदारी वाली सम्पत्ति का किराया माननीय न्यायालय सिविल जज जे०डी० हरिद्वार के न्यायालय में प्रकीर्ण वाद संख्या 75/2018 लक्ष्मण बनाम मं० रामपुरी में लगातार जमा करता चला आता है। आश्रम के ट्रस्टीगणों में आपसी विवाद होने के कारण कुछ असामाजिक तत्व जिनमे माई गंगादास अपने भतीजे धीरज को साथ लेकर आश्रम पर कब्जा करने की नियत से गुण्डे किस्म के लोगों को लेकर आयेदिन गाली गलौच करते हुए आश्रम को खाली करने की धमकी देते रहते हैं अपनी इसी नज़ायज मंशा की पूर्ती हेतु उक्त लोगों द्वारा जबरन विधि विरुद्ध रूप से उसकी बिजली काट दी। परिवादी ने अपनी किरायेदारी वाली सम्पत्ति पर 01 किलोवाट का घरेलू विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.06.2023 को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हरिद्वार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन किया गया था। आवेदन के बाबत जब एस०डी०ओ० से जानकारी करने पर एस०डी०ओ० द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। जबकि नियमानुसार 30 दिनों के अन्दर मूलभूत आवश्यकता विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के नोटिफिकेशन दिनांकित 29.10.2020 जिसका प्रकाशन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2020 को किया गया है के अध्याय 3 प्रस्तर 3.3.2 बिन्दू 04 के अनुसार आवेदन पत्र के साथ स्वामित्व व कब्जाधारी होने का प्रमाण के रूप में आवेदन की तिथि से तीन महीने पहले जारी की गयी नवीनतम किराया रसीद जमा करने पर नया कनेक्शन दिया जा सकता है एवं अध्याय 3 प्रस्तर 3.2 बिन्दू 04 के अनुसार ए से ई में सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो आवेदक से उप विनियम 3.3.3 के क्लॉज 11 की तालिका 3.4 से तालिका 3.6 के अनुसार तीन गुना धरोहर राशि चार्ज

क्रमशः.....02

करने के उपरांत विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा परन्तु उसके द्वारा तीन गुना धरोहर राशि जमा करने हेतु भी तैयार होने के बावजूद भी विद्युत कनेक्शन बिना किसी आधार के जारी नहीं किया जा रहा है। विद्युत कनेक्शन एक मौलिक आवश्यकता की श्रेणी में आता है जिस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी दिये गये निर्णयों में निर्देश जारी किये गये हैं, परन्तु इसके बावजूद भी परिवादी के परिवार को विद्युत जैसी महत्वपूर्ण एवं मूलभूत आवश्यकता से जानबूझकर वंचित किया, परिवादी के छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाई करने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मंच से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत कनेक्शन दिलवाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। साथ ही निर्धारित समय सीमा में विद्युत कनेक्शन ना दिये जाने के कारण कनेक्शन देने की वास्तविक तिथि तक निर्धारित रु. 1000/- प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति दिलवाने का कष्ट करें। साथ ही अन्य अनुतोष जो माननीय मंच को उचित लगे विभाग से दिलवाने का कष्ट करें।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 1849 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी की आख्या के अनुसार जिस स्थान पर विद्युत संयोजन का आवेदन प्राप्त हुआ है, उसके भू स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद है तथा आवेदक उक्त सम्पत्ति का स्वामी नहीं है एवं सम्पत्ति स्वामी द्वारा संयोजन दिये जाने पर आपत्ति दर्ज की गयी है।

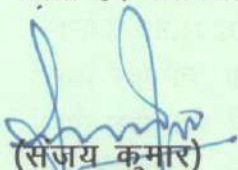
मंच के समक्ष परिवादी श्री लक्ष्मण सिंह तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री कमल राज नेगी उपस्थित हुए।

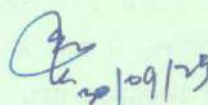
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

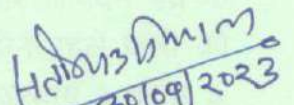
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी सि०बली आश्रम कनखल चण्डी घाट तहसील व जिला हरिद्वार में किराएदार है तथा उसक द्वारा किराया न्यायालय के वाद संख्या 75/2018 सिविल जज जेडी हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2019 के अनुपालन में किराया न्यायालय में जमा कराया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवादी उक्त परिसर में निवासरत है। मंच द्वारा सुनवाई के समय विपक्षी के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी ^{उपखण्ड अधिकारी} ~~लेण्डोर्स~~ श्री कमलराज नेगी ने मंच को बताया कि विपक्षी विभाग द्वारा इस प्रकरण के संबंध में लीगल राय ली गई है जिसकी प्रतिलिपि पत्रावली पर भी दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया है कि तीन गुना धरोहर धनराशि जमा कराकर परिवादी को विद्युत संयोजन जारी किया जा सकता है। विपक्षी ने बताया कि उक्त आधार पर परिवादी को विद्युत संयोजन जारी किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। क्योंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को विद्युत संयोजन जारी किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान के लिए कार्यवाही शुरू कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनीयाल)
उपभोक्ता सदस्य



उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 119 / 2023

परिवादी :- श्री पप्पू गुप्ता पुत्र श्री सुर्जन लाल, निवासी-सिद्धबली आश्रम, चण्डीघाट, भूपतवाला, पोस्ट-कनखल, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 30.09.2023

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री पप्पू गुप्ता पुत्र श्री सुर्जन लाल, निवासी-सिद्धबली आश्रम, चण्डीघाट, भूपतवाला, पोस्ट-कनखल, जिला-हरिद्वार द्वारा नए विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त परिसर पर वह कई वर्षों से बतौर किरायेदार चला आता है उक्त आश्रम के ट्रस्टीगणों के मध्य आपसी विवाद होने के कारण वह अपनी किरायेदारी वाली सम्पत्ति का किराया माननीय न्यायालय सिविल जज जे०डी० हरिद्वार के न्यायालय में प्रकीर्ण वाद संख्या 72/2018 पप्पू गुप्ता बनाम मं० रामपुरी में लगातार जमा करता चला आता है। आश्रम के ट्रस्टीगणों में आपसी विवाद होने के कारण कुछ असामाजिक तत्व जिनमे माई गंगादास अपने भतीजे धीरज को साथ लेकर आश्रम पर कब्जा करने की नियत से गुण्डे किस्म के लोगो को लेकर आये दिन गाली गलौच करते हुए आश्रम को खाली करने की धमकी देते रहते हैं अपनी इसी नजायज मंशा की पूर्ती हेतु उक्त लोगों द्वारा जबरन विधि विरुद्ध रूप से उसकी बिजली काट दी। परिवादी ने अपनी किरायेदारी वाली सम्पत्ति पर 01 किलोवाट का घरेलू विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.06.2023 को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हरिद्वार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन किया गया था। आवेदन के बाबत जब एस०डी०ओ० से जानकारी करने पर एस०डी०ओ० द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। जबकि नियमानुसार 30 दिनों के अन्दर मूलभूत आवश्यकता विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के नोटिफिकेशन दिनांकित 29.10.2020 जिसका प्रकाशन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2020 को किया गया है के अध्याय 3 प्रस्तर 3.3.2 बिन्दू 04 के अनुसार आवेदन पत्र के साथ स्वामित्व व कब्जाधारी होने का प्रमाण के रूप में आवेदन की तिथी से तीन महीने पहले जारी की गयी नवीनतम किराया रसीद जमा करने पर नया कनेक्शन दिया जा सकता है एवं अध्याय 3 प्रस्तर 3.3.2 बिन्दू 04 के अनुसार ए से ई में सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो आवेदक से उप विनियम 3.3.3 के क्लॉज 11 की तालिका 3.4 से तालिका 3.6 के अनुसार तीन

Handwritten signature

क्रमशः.....02

गुना धरोहर राशि चार्ज करने के उपरांत विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा परन्तु उसके द्वारा तीन गुना धरोहर राशि जमा करने हेतु भी तैयार होने के बावजूद भी विद्युत कनेक्शन बिना किसी आधार के जारी नहीं किया जा रहा है। विद्युत कनेक्शन एक मौलिक आवश्यकता की श्रेणी में आता है जिस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी दिये गये निर्णयों में निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु इसके बावजूद भी परिवादी के परिवार को विद्युत जैसी महत्वपूर्ण एवं मूलभूत आवश्यकता से जानबूझकर वंचित किया, परिवादी के छोटे छोटे बच्चों को पढाई करने में अत्यंत कठिनाई का सामना पड़ रहा है। मंच से उसका अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत कनेक्शन दिलवाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। साथ ही निर्धारित समय सीमा में विद्युत कनेक्शन ना दिये जाने के कारण कनेक्शन देने की वास्तविक तिथि तक निर्धारित रु. 1000/- प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति दिलवाने का कष्ट करें। साथ ही अन्य अनुतोष जो माननीय मंच को उचित लगे विभाग से दिलवाने का कष्ट करें।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 1850 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया कि उपखण्ड अधिकारी की आख्या के अनुसार जिस स्थान पर विद्युत संयोजन का आवेदन प्राप्त हुआ है, उसके भू स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद है तथा आवेदक उक्त सम्पत्ति का स्वामी नहीं है एवं सम्पत्ति स्वामी द्वारा संयोजन दिये जाने पर आपत्ति दर्ज की गयी है।

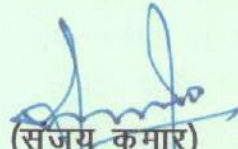
मंच के समक्ष परिवादी श्री पप्पू गुप्ता तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री कमल राज नेगी उपस्थित हुए।

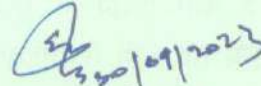
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

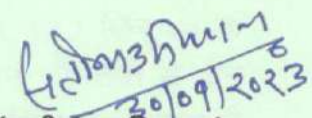
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी सि०बली आश्रम कनखल चण्डी घाट तहसील व जिला हरिद्वार में किराएदार है तथा उसक द्वारा किराया न्यायालय के वाद संख्या 72/2018 सिविल जज जेडी हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2019 के अनुपालन में किराया न्यायालय में जमा कराया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवादी उक्त परिसर में निवासरत है। मंच द्वारा सुनवाई के समय विपक्षी के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी लण्डेस श्री कमलराज नेगी ने मंच को बताया कि विपक्षी विभाग द्वारा इस प्रकरण के संबंध में लीगल राय ली गई है जिसकी प्रतिलिपि पत्रावली पर भी दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया है कि तीन गुना धरोहर धनराशि जमा कराकर परिवादी को विद्युत संयोजन जारी किया जा सकता है। विपक्षी ने बताया कि उक्त आधार पर परिवादी को विद्युत संयोजन जारी किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। क्योंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को विद्युत संयोजन जारी किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान के लिए कार्यवाही शुरू कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश चनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत) 80 बसंत बिहार फेज-1 देहरादून में अपील कर सकता है।



कायालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 121 / 2023

परिवादी :- श्री प्रभात कुमार पुत्र श्री श्रीचन्द, निवासी-सिद्धबली आश्रम, चण्डीघाट, भूपतवाला, पोस्ट-कनखल, जिला-हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 30.09.2023

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री प्रभात कुमार पुत्र श्री श्रीचन्द, निवासी-सिद्धबली आश्रम, चण्डीघाट, भूपतवाला, पोस्ट-कनखल, जिला-हरिद्वार द्वारा नए विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त परिसर पर वह कई वर्षों से बतौर किरायेदार चला आता है उक्त आश्रम के ट्रस्टीगणों के मध्य आपसी विवाद होने के कारण वह अपनी किरायेदारी वाली सम्पत्ति का किराया माननीय न्यायालय सिविल जज जे0डी0 हरिद्वार के न्यायालय में प्रकीर्ण वाद संख्या 73/2018 प्रभात कुमार बनाम मं0 रामपुरी में लगातार जमा करता चला आता है। आश्रम के ट्रस्टीगणों में आपसी विवाद होने के कारण कुछ असामाजिक तत्व जिनमे माई गंगादास अपने भतीजे धीरज को साथ लेकर आश्रम पर कब्जा करने की नियत से गुण्डे किस्म के लोगो को लेकर आये दिन गाली गलौच करते हुए आश्रम को खाली करने की धमकी देते रहते हैं अपनी इसी नाजायज मंशा की पूर्ती हेतु उक्त लोगों द्वारा जबरन विधि विरुद्ध रूप से उसकी बिजली काट दी। परिवादी ने अपनी किरायेदारी वाली सम्पत्ति पर 01 किलोवाट का घरेलू विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.06.2023 को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हरिद्वार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन किया गया था। आवेदन के बाबत जब एस0डी0ओ0 से जानकारी करने पर एस0डी0ओ0 द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। जबकि नियमानुसार 30 दिनों के अन्दर मूलभूत आवश्यकता विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के नोटिफिकेशन दिनांकित 29.10.2020 जिसका प्रकाशन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2020 को किया गया है के अध्याय 3 प्रस्तर 3.3.2 बिन्दू 04 के अनुसार आवेदन पत्र के साथ स्वामित्व व कब्जाधारी होने का प्रमाण के रूप में आवेदन की तिथी से तीन महीने पहले जारी की गयी नवीनतम किराया रसीद जमा करने पर नया कनेक्शन दिया जा सकता है एवं अध्याय 3 प्रस्तर 3.3.2 बिन्दू 04 के अनुसार ए से ई में सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो आवेदक से उप विनिमय 3.3.3 के क्लॉज 11 की तालिका 3.4 से तालिका 3.6 के अनुसार तीन गुना धरोहर राशि चार्ज करने के उपरांत विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा परन्तु उसके द्वारा तीन गुना

क्रमशः.....02

धरोहर राशि जमा करने हेतु भी तैयार होने के बावजूद भी विद्युत कनेक्शन बिना किसी आधार के जारी नहीं किया जा रहा है। विद्युत कनेक्शन एक मौलिक आवश्यकता की श्रेणी में आता है जिस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी दिये गये निर्णयों में निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु इसके बावजूद भी परिवादी के परिवार को विद्युत जैसी महत्वपूर्ण एवं मूलभूत आवश्यकता से जानबूझकर वंचित किया, परिवादी के छोटे छोटे बच्चों को पढाई करने में अत्यंत कठिनाई का सामना पड़ रहा है। मंच से उसका अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत कनेक्शन दिलवाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। साथ ही निर्धारित समय सीमा में विद्युत कनेक्शन ना दिये जाने के कारण कनेक्शन देने की वास्तविक तिथि तक निर्धारित रु. 1000/- प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति दिलवाने का कष्ट करें। साथ ही अन्य अनुतोष जो माननीय मंच को उचित लगे विभाग से दिलवाने का कष्ट करें।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 1922 दिनांक 14.09.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी की आख्या के अनुसार जिस स्थान पर विद्युत संयोजन का आवेदन प्राप्त हुआ है, उसके भू स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद है तथा आवेदक उक्त सम्पत्ति का स्वामी नहीं है एवं सम्पत्ति स्वामी द्वारा संयोजन दिये जाने पर आपत्ति दर्ज की गयी है।

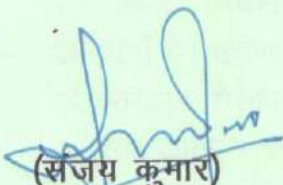
मंच के समक्ष परिवादी श्री प्रभात कुमार तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री कमल राज नेगी उपस्थित हुए।

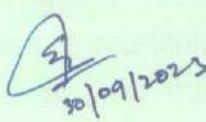
मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

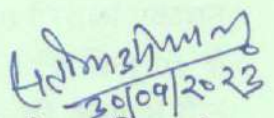
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी सि०बली आश्रम कनखल चण्डी घाट तहसील व जिला हरिद्वार में किराएदार है तथा उसक द्वारा किराया न्यायालय के वाद संख्या 73/2018 सिविल जज जेडी हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2019 के अनुपालन में किराया न्यायालय में जमा कराया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवादी उक्त परिसर में निवासरत है। मंच द्वारा सुनवाई के समय विपक्षी के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी ^{उपखण्ड अधिकारी} ~~लेण्डिस~~ श्री कमलराज नेगी ने मंच को बताया कि विपक्षी विभाग द्वारा इस प्रकरण के संबंध में लीगल राय ली गई है जिसकी प्रतिलिपि पत्रावली पर भी दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया है कि तीन गुना धरोहर धनराशि जमा कराकर परिवादी को विद्युत संयोजन जारी किया जा सकता है। विपक्षी ने बताया कि उक्त आधार पर परिवादी को विद्युत संयोजन जारी किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। क्योंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को विद्युत संयोजन जारी किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान के लिए कार्यवाही शुरू कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तु)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विवाद) १०, वांग विद्याल, फेज-१, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 122 / 2023

परिवादी :- श्री रईस अहमद पुत्र श्री माजिद, मोहल्ला किला, मंगलौर, रुड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 30.09.2023

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री रईस अहमद पुत्र श्री माजिद, मोहल्ला किला, मंगलौर, रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD21720090033 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल 13.08.2021 को गलत रीडिंग 3814 पर मीटर रीडर ने बना दिया था, जबकि मीटर में 3034 रीडिंग के लगभग थी। उसके बाद अगले बिल में दिनांक 11.10.2021 को मीटर में मौजूद रीडिंग 3090, मीटर रीडर द्वारा भरी गई, जिससे बिल आरडीएफ में आ गया, जिसे विभाग ने ठीक नहीं किया। यहां तक कि मार्च 2023 में कनेक्शन काटने का डर दिखा कर विभाग ने रू० 28000.00 जमा करा लिए और कहा गया कि बाकी सब माइनस में चला जाएगा। उनका एडवांस पैसा जमा हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी विभाग ने आज तक आरडीएफ के बिल ठीक नहीं किये और 22 माह से बिल लगातार आरडीएफ में भेजे जा रहे हैं जबकि विभाग की जिम्मेदारी है कि रीडिंग से बिल भेजे। अतः परिवादी ने मंच से उनके ऊपर 08.06.2021 तक 3002 रीडिंग पर रू० 4261.00 का बकाया और वर्तमान में रीडिंग 4210-3002=1208 खपत रीडिंग का बिल आदि मिलाकर बिना ब्याज के तथा उनके द्वारा मार्च में जमा किये रू० 28000.00 को उनमें से घटवा कर उनके खाता में एडवांस जमा करवाने हेतु विभाग को आदेशित किया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्रांक 3721 दिनांक 14.09.2023 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया गया है कि उक्त विद्युत सं० RD21720090033 के विद्युत बीजक को संशोधित कर दिया गया है। संशोधनोपरान्त बिल धनराशि रू० (-)242.00 है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री रईस स्वयं उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से श्री अक्षय कपिल उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 10.03.2007 से 02 किलोवाट भार में गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 13.08.2021 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इसके बाद दिनांक 11.10.2021 से दिनांक 07.09.2023 तक लगातार आरडीएफ के आधार पर बिल जारी किए गए हैं जिन्हें परिवादी द्वारा विवादित

क्रमशः.....02

किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 10.11.2021 से दिनांक 07.09.2023 तक जारी किए गए समस्त आरडीएफ बिलों को निरस्त करते हुए परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर में दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर उक्त आरडीएफ बिलों को संशोधित कर दिया गया है। इस प्रकार परिवादी को दिनांक 07.09.2023 को निर्गत बिल रू० 20014.00 को संशोधित करते हुए वर्तमान में अब रू० (-) 242.00 का बिल जारी किया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है।

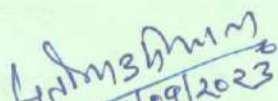
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


30/09/2023
(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


30/09/2023
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।



कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368

E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 123 / 2023

परिवादी :- श्री जमीर हसन पुत्र श्री बल्लू, मलकपुरा, मंगलौर, रुड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रुड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 30.09.2023

श्री संजय कुमार

न्यायिक सदस्य

श्री जी० एस० धर्मसत्तू

तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल

उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जमीर हसन पुत्र श्री बल्लू, मलकपुरा, मंगलौर, रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD21712171276 भार 2 किलावाट के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि मई 2022 से अगस्त 2022 तक मीटर द्वारा अचानक असामान्य यूनिट खपत की गयी, जिस पर आवेदन के बाद दिनांक 06.10.2022 को चैक मीटर लगाया गया, जिसे दिनांक 17.01.2022 को पुराना मीटर 200 प्रतिशत तेज चलने के कारण बदला गया, जिसकी मासिक खपत चैक मीटर लगने से पूर्व अगस्त 2022 में 1283 यूनिट, जून 2022 में 2407 यूनिट, अप्रैल 2022 में 287 यूनिट, फरवरी 2022 में 134 यूनिट, दिसंबर 2021 में 165 यूनिट, अक्टूबर 2021 में 250 यूनिट खपत की गई। मई 2023 में उपखण्ड अधिकारी मंगलौर में प्रार्थना पत्र देकर बिल ठीक कराने की प्रार्थना की गई, मगर बार-बार चक्कर काटने पर भी विभाग द्वारा बिल ठीक नहीं किया गया। अतः मंच से अनुरोध है कि दिनांक 13.04.2022 के बाद भेजे गये बिल निरस्त कर पुराने मीटर की औसत खपत के आधार पर बिल ठीक करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्रांक 3835 दिनांक 21.09.2023 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया गया है कि उक्त विद्युत संयोजन संख्या RD21712171276 श्री जमीर हसन पुत्र श्री बल्लू द्वारा माननीय मंच के समक्ष दर्ज शिकायत का अवलोकन करने के उपरान्त उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बीजक को चैक मीटर फाईनल सिलिंग प्रमाण पत्र संख्या 01/211 दिनांक 17.11.2022 के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। जो कि संसोधनोपरान्त रू० 30273.00 है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री जमीर हसन स्वयं उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से श्री अक्षय कपिल, उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 10.06.2015 से 02 किलोवाट भार में गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 16.10.2022 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 14.06.2022, 18.08.2022 और 16.10.2022 को एमयू आधार पर क्रमशः 2407, 1283 तथा 655 यूनिट के बिल जारी किए गए हैं जिसको

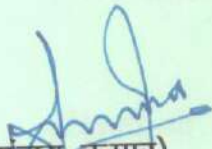
क्रमशः.....02

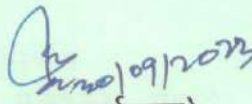
परिवादी द्वारा विवादित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी के परिसर पर विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 06.10.2022 को चैक मीटर स्थापित किया गया जिसे दिनांक 17.11.2022 को फाइनल किया गया, जिसके आधार पर परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर के त्रुटिपूर्ण होने की पुष्टि की गई है। उपरोक्त तथ्यों तथा परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 14.06.2022, 18.08.2022 और दिनांक 16.10.2022 तथा दिनांक 19.12.2022 (आंशिक रूप में) को जारी किए गए बिल में दर्शाई गई परिवादी की विद्युत खपत को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है, फलस्वरूप उक्त बिलों को मीटर सही होने की दशा में जारी किए गए बिल दिनांक 10.12.2021, 11.02.2022 तथा 13.04.2022 में दर्ज विद्युत खपत के औसत आधार पर विपक्षी विभाग द्वारा उपरोक्त अवधि का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है।

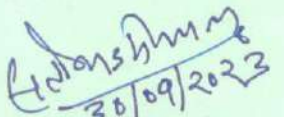
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य


(जी० एस० धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य


(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-1, देहरादून में अपील कर सकता है।